

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड III

दिनांक 30 जून, 1995 में प्रकाशित

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

बई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 1995

अधिसूचना


कठोरा 131 : केन्द्रीय सरकार ने, आयकर अधिनियम, 1961 [1991 का 43] की धारा 35 के स्पष्टीकरण के खण्ड 131 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का.आ. 878 131, तारीख 30 नवम्बर, 1992 द्वारा III गोपाली परियोजना गोपाली आश्रम में विद्यार्थियों के होस्टल का निर्माण करना और गोपाली मां वल्लदीक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खडगपुर में जल सुविधाएं लगाना III जलवेरिया परियोजना: विद्यार्थियों के होस्टल और प्रशिक्षण स्वतः रोजगार कार्यों के लिए भवन का निर्माण करना III कृष्णा नगर परियोजना : प्राइमरी स्कूल और दो होम्योपैथिक चिकित्सक चलाने के लिए व्यय पुनरावर्ती III फुलेश्वर परियोजना : प्राइमरी स्कूल और दो होम्योपैथिक चिकित्सकों को चलाने के लिए व्यय पुनरावर्ती और IV अमता परियोजना : प्राइमरी स्कूल के लिए भवन का निर्माण और प्रिंसिपल हट्टीय, कलकत्ता -700072, मानव सेवा प्रतिष्ठान के मेडिकल चिकित्सक भवन का निर्माण करना, निर्धारण वर्ष 1993-94 से प्रारम्भ होने वाले तीसरे निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना या स्कीम विनिर्दिष्ट किया था;

और उक्त परियोजना या स्कीम को तीसरे वर्ष से आगे बढ़ाए जाने की संभावना है ;

और राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर अधिनियम 1962 के नियम 11 ई के उपबन्ध 5 के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीसरे वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आथकर अधिनियम 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क म के स्पष्टीकरण के खण्ड [ख] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित परियोजनाओं को निर्धारण वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाले तीन निर्धारण वसत्रवर्षों की और अवधि के लिए पात्र षष्ठिपरियोजनाओं या स्कीमों को, अनुमोदित लाभ को बढ़ते बिना विनिर्दिष्ट करती है।

III गोपाली परियोजना : गोपाली आश्रम में विद्यार्थियों के होस्टल का निर्माण करना और गोपाली मां व नजदीकी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खडमपुर जल सुविधाएं लगाना। IV जलधेरिया परियोजना : विद्यार्थियों के होस्टल और प्रशिक्षण स्वतः रोजगार कार्यों के लिए भवन का निर्माण करना। V कृष्णागर परियोजना : प्राइमरी स्कूल और दो होम्योपैथी क्लिनिक चलाने के लिए व्यय पुनरावर्ती। VI पुलेश्वर परियोजना : प्राइमरी स्कूल और दो होम्योपैथी क्लिनिकों को चलाने के लिए व्यय पुनरावृत्ति और VII अमता परियोजना : प्राइमरी स्कूल के लिए भवन का निर्माण और 14, प्रिसेप स्ट्रीट, कलकत्ता-700072, मानव सेवा प्रतिष्ठान के मेडिकल भवन का निर्माण करना।



।वी०के० सहगल।

उप सचिव, भारत सरकार

सं० १४०।

फा० सं० एन०सी० 44/95

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (11) DATED THE 30th JUNE, 1995

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 30th June, 1995


NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification vide S.O. 878(E) dated 30th November, 1992 issued under clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, the - (i) Gopali Project: Construction of a students' hostel at Gopali Ashram and installation of water facilities at Village Gopali near Indian Institute of Technology, Kharagpur; (ii) Jalaberia Project: Construction of a students' hostel building and training self-employment activities; (iii) Krishnanagar Project: Recurring expenses for running a primary school and two homeopathic clinics; (iv) Phuleswar Project: Recurring expenses for running a primary school and two homeopathic clinics; and (v) Amta Project: Construction of a building for primary school and medical clinic of Manav Seva Pratisthan, 14, Princep Street, Calcutta-700072 as an eligible project or scheme for a period of three assessment years commencing from the assessment year 1993-94;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income Tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the following schemes - (i) Gopali Project: Construction of a students' hostel at Gopali Ashram and installation of Water facilities at Village Gopali near Indian Institute of Technology, Kharagpur; (ii) Jalaberia Project: Construction of a students' hostel building and training self-employment activities; (iii) Krishnanagar Project: Recurring expenses for running a primary school and two homeopathic clinics; (iv) Phuleswar Project: Recurring expenses for running a primary school and two homeopathic clinics; and (v) Amta Project: Construction of a building for primary school and medical clinic which are being carried out by Manav Seva Pratisthan, 14, Princep Street, Calcutta-700072 without change in the approved cost as eligible projects or schemes for a further period of three assessment years commencing from the assessment year 1996-97.



(V.K. Sehgal)

Deputy Secretary to the Government of India